भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2063

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

पारेषण और वितरण हानियों में कमी

2063. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में पारेषण और वितरण (टी और डी) हानि को कम करने के लिए निर्धारित लक्ष्य और इस संबंध में राज्य-वार प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का पारेषण और वितरण हानि को कम करने के लिए राज्यों को प्रदर्शन-संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : देश में पारेषण हानियां वार्षिक आधार पर लगभग 3-4% है। राजस्व संग्रह में कमी के कारण होने वाली हानियों के साथ वितरण नेटवर्क में वितरण हानियां, वितरण यूटिलिटी की कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों के रूप में रिपोर्ट की जाती हैं।

भारत सरकार (जीओआई) ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और केंद्र सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपये है।

इस स्कीम के अंतर्गत, हानि में कमी वाली अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वितरण यूटिलिटी को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत हानि में कमी वाली अवसंरचनाओं के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के अंतर्गत धनराशि जारी करना एटी एंड सी हानियों सहित प्रचालनात्मक और वित्तीय मापदंडों के साथ वितरण यूटिलिटी के निष्पादन से जुड़ा हुआ है। वितरण यूटिलिटी के अनुसार एटी एंड सी हानियों में कमी के लक्ष्य और उपलब्धियां **अनुबंध** पर संलग्न हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों और विभिन्न सुधार उपायों के परिणामस्वरूप, कुल पारेषण और वितरण हानियों में कमी आई है। देश भर में एटी एंड सी हानियां वित्त वर्ष 21 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 15.04% हो गई हैं। इन सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप वितरण यूटिलिटी ने, कुल आधार पर, विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के बाद पहली बार वित्त वर्ष 25 में 2,701 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2063

अनुबंध

वितरण यूटिलिटी के अनुसार एटीएंड सी हानि (प्रतिशत में) लक्ष्य और आरडीएसएस के तहत उपलब्धि

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वितरण यूटिलिटी	लक्ष्य वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 23 वास्तविक	लक्ष्य वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 24 वास्ताविक	लक्ष्य वित्त वर्ष 25	वित्त वर्ष 25 वास्तविक	लक्ष्य वित्त वर्ष 26
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	ईडीएएन	20.50%	19.77%	17.00%	20.76%	17.00%	24.14%	13.00%
2.	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	14.13%	10.33%	11.54%	11.37%	11.54%	7.95%	10.83%
3.	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल	12.00%	5.94%	11.00%	10.41%	11.00%	7.70%	9.01%
4.	आंध्र प्रदेश	एपीएसपीडीसीएल	20.01%	8.08%	15.00%	13.95%	15.00%	7.99%	12.78%
5.	अरुणाचल प्रदेश	पीडी	35.00%	51.70%	28.00%	42.86%	28.00%	46.20%	22.00%
6.	असम	एपीडीसीएल	16.50%	16.22%	15.80%	14.03%	15.80%	15.44%	13.00%
7.	बिहार	एनबीपीडीसीएल	22.00%	21.42%	19.00%	17.06%	19.00%	14.49%	16.00%
8.	बिहार	एसबीपीडीसीएल	31.00%	25.05%	25.00%	22.89%	25.00%	16.35%	20.00%
9.	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	15.90%	16.14%	14.32%	15.88%	14.32%	14.25%	13.10%
10.	दिल्ली	एनडीएमसी	9.00%	10.67%	8.00%	12.82%	8.00%	8.36%	7.00%
11.	गोवा	जीईडी	12.00%	17.09%	11.00%	9.09%	11.00%	10.39%	10.25%
12.	गुजरात	डीजीवीसीएल	7.90%	1.62%	7.80%	1.87%	7.80%	4.26%	7.70%
13.	गुजरात	एमजीवीसीएल	10.31%	9.67%	9.81%	6.88%	9.81%	8.37%	9.31%
14.	गुजरात	पीजीवीसीएल	17.22%	18.41%	16.22%	15.11%	16.22%	12.73%	15.00%
15.	गुजरात	यूजीवीसीएल	7.30%	9.35%	7.25%	8.08%	7.25%	6.16%	7.20%
16.	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	14.50%	13.17%	13.50%	12.73%	13.50%	12.20%	12.50%
17.	हरियाणा	यूएचबीवीएनएल	14.50%	10.32%	13.50%	9.15%	13.50%	11.12%	12.50%
18.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबीएल	12.70%	10.57%	11.53%	10.88%	11.53%	19.44%	10.15%
19.	जम्मू और कश्मीर	जेपीडीसीएल	44.00%	37.64%	37.00%	32.47%	37.00%	27.45%	27.00%
20.	जम्मू और कश्मीर	केपीडीसीएल	54.00%	59.59%	44.00%	51.98%	44.00%	33.54%	34.00%
21.	झारखंड	जेबीवीएनएल	30.00%	27.46%	24.00%	30.51%	24.00%	28.19%	19.00%
22.	कर्नाटक	बेस्कॉम	लागू नहीं	12.78%	लागू नहीं	10.23%	लागू नहीं	12.50%	लागू नहीं
23.	कर्नाटक	सीईएससी	लागू नहीं	10.22%	लागू नहीं	9.38%	लागू नहीं	8.76%	लागू नहीं
24.	कर्नाटक	जेस्कॉम	लागू नहीं	19.25%	लागू नहीं	9.56%	लागू नहीं	13.48%	लागू नहीं
25.	कर्नाटक	हेस्कॉम	लागू नहीं	18.12%	लागू नहीं	17.92%	लागू नहीं	12.14%	लागू नहीं
26.	कर्नाटक	मेस्कॉम	लागू नहीं	9.20%	लागू नहीं	12.48%	लागू नहीं	10.02%	लागू नहीं
27.	केरल	केएसईबीएल	12.20%	5.64%	11.50%	7.44%	11.50%	6.61%	10.50%
28.	केरल	टीसीईडी	8.35%	7.08%	8.14%	7.19%	8.14%	6.94%	8.00%
29.	लद्दाख	पीडी	38.00%	38.61%	28.00%	42.46%	28.00%	26.82%	20.00%

30.	मध्य प्रदेश	एमपी केंद्रीय	36.18%	22.89%	26.99%	29.09%	26.99%	29.60%	19.57%
31.	मध्य प्रदेश	एमपी पूर्व	32.06%	27.09%	24.27%	28.20%	24.27%	26.66%	19.49%
32.	मध्य प्रदेश	एमपी पश्चिम	18.70%	12.60%	16.09%	12.33%	16.09%	12.78%	13.40%
33.	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	18.00%	17.37%	15.50%	24.39%	15.50%	18.09%	13.00%
34.	महाराष्ट्र	बीईएसटी	7.80%	4.18%	7.60%	6.68%	7.60%	5.07%	7.50%
35.	मणिपुर	एमएसपीडीसीएल	18.00%	13.82%	15.50%	13.41%	15.50%	12.90%	13.00%
36.	मेघालय	एमईपीडीसीएल	25.00%	17.75%	21.00%	17.51%	21.00%	17.52%	18.00%
37.	मिज़ोरम	ईडी	21.00%	26.53%	17.50%	28.01%	17.50%	32.31%	14.00%
38.	नागालैंड	डीओपी	42.00%	47.28%	34.00%	47.11%	34.00%	48.86%	25.60%
39.	पुडुचेरी	ईडी	16.50%	21.83%	14.00%	17.75%	14.00%	14.72%	11.56%
40.	पंजाब	पीएसपीसीएल	15.00%	11.23%	14.00%	10.96%	14.00%	19.21%	13.50%
41.	राजस्थान	एवीवीएनएल	17.91%	10.00%	15.75%	15.43%	15.75%	9.22%	14.25%
42.	राजस्थान	जेवीवीएनएल	20.15%	14.59%	17.70%	20.89%	17.70%	13.75%	15.00%
43.	राजस्थान	जेडीवीवीएनएल	23.50%	20.99%	19.50%	28.84%	19.50%	21.42%	16.00%
44.	सिक्किम	सिक्किम पीडी	25.00%	26.41%	20.00%	27.84%	20.00%	21.84%	15.00%
45.	तमिलनाडु	टीएनपीडीसीएल	13.24%	10.92%	12.40%	11.39%	12.40%	10.96%	11.92%
46.	तेलंगाना	टीजीएनपीडीसीएल	लागू नहीं	22.19%	लागू नहीं	20.00%	लागू नहीं	23.22%	लागू नहीं
47.	तेलंगाना	टीजीएसपीडीसीएल	लागू नहीं	17.20%	लागू नहीं	18.62%	लागू नहीं	18.51%	लागू नहीं
48.	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	28.00%	24.91%	23.00%	69.01%	23.00%	29.61%	19.00%
49.	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएनएल	31.06%	24.04%	25.26%	20.00%	25.26%	19.70%	18.97%
50.	उत्तर प्रदेश	एमवीवीएनएल	26.60%	23.46%	21.08%	15.53%	21.08%	17.70%	17.97%
51.	उत्तर प्रदेश	पीवीवीएनएल	17.41%	17.06%	15.06%	14.25%	15.06%	11.91%	12.69%
52.	उत्तर प्रदेश	पीयूवीवीएनएल	27.84%	27.27%	22.75%	17.33%	22.75%	30.70%	18.49%
53.	उत्तर प्रदेश	केस्को	13.49%	11.33%	10.65%	9.60%	10.65%	14.29%	8.07%
54.	उत्तराखंड	यूपीसीएल	16.10%	14.41%	14.99%	14.69%	14.99%	15.08%	13.96%
55.	पश्चिम बंगाल	डब्लयूबीएसईडीसीएल	17.50%	17.43%	15.50%	17.13%	15.50%	17.17%	12.11%
56.	निजी डिस्कॉम	लागू नहीं	लागू नहीं	10.76%	लागू नहीं	11.0%	लागू नहीं	10.05%	लागू नहीं
राष्ट्रीय			**-**	**15.11%**	**-**	**16.12%**	**-**	**15.04%**	**-**

लागू नहीं: वितरण यूटिलिटी आरडीएसएस के अंतर्गत नहीं हैं

वित्त वर्ष 26 की वास्तविक राशि वित्त वर्ष 26 के लिए पीएफसी की पावर यूटिलिटी रिपोर्ट के प्रकाशन पर उपलब्ध होगी (जनवरी, 2027 तक अपेक्षित)।
